

**निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।**

क्रमांक: एफ.1 (175)स्था/निकाशि/2011/4283

दिनांक: 05-8-11

**संशोधन आदेश**

निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक: एफ.1 (175)स्था/निकाशि/2011/4281 दिनांक 4 अगस्त, 2011 में निम्नानुसार संशोधन किये गये हैं।

पूर्व में जारी आदेश	संशोधित
<p><b>पृष्ठ-एक</b> क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय में उपस्थिति देने वाले अनुदानित महाविद्यालय से आनेवाले शिक्षकों की सूची निदेशालय की वेवसाईट पर उपलब्ध करवादी गई है।</p>	<p><b>पृष्ठ-एक</b> क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय में उपस्थिति देने वाले अनुदानित महाविद्यालय से आनेवाले शिक्षकों की सूची निदेशालय की वेवसाईट पर दिनांक 5-8-2011 की सायं उपलब्ध करवा दी जायेगी।</p>
<p><b>पृष्ठ-दो</b></p>	<p><b>पृष्ठ-दो</b> मीरा कन्या अनुदानित महाविद्यालय संगरिया के स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुशासित व दिनांक 5-8-11 तक क्षेत्रीय कार्यालय में कॉलेज शिक्षा में उपस्थिति देने वाले व्याख्याता अभिमुखीकरण हेतु राजकीय महाविद्यालय नोहर में उपस्थिति देंगे।</p>
<p><b>पृष्ठ-चार</b> प्राचार्य केवल उन्हीं शिक्षकों को उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम हेतु उपस्थिति देने की अनुमति प्रदान करेंगे, जिन्होंने दिनांक 6.8.2011 तक सम्बन्धित सहायक निदेशक कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी है।</p>	<p><b>पृष्ठ-चार</b> प्राचार्य केवल उन्हीं शिक्षकों को उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम हेतु उपस्थिति देने की अनुमति प्रदान करेंगे, जिन्होंने दिनांक 5.8.2011 तक सम्बन्धित सहायक निदेशक कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी है।</p>

(सुबीर कुमार)  
निदेशक


कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर

क्रमांक: एफ.1(176)स्था/निकाशि/2011/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्चशिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, उच्चशिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक(स्थापना), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (अनुदान), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. सम्बन्धित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
13. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/सम्बन्धित शिक्षक।
15. रक्षित पत्रावली।

  
 संयुक्त निदेशक  
 कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक: एफ.1 (175)स्था/निकाशि/2011/4281

दिनांक: 04-08-2011

### कार्यालय आदेश

अनुदानित महाविद्यालयों से राज्य सेवा में आने हेतु दिये गये विकल्प एवं इस संदर्भ में स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंघा पर इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक: 218 दिनांक 29.7.2011 के संदर्भ में सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 5.8.2011 तक कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों को निम्नानुसार दिनांक 6.8.2011 को राजकीय महाविद्यालयों में 4 सप्ताह/आगामी आदेशों तक राज्य सेवा में अभिमुखीकरण कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार उपस्थिति देने के लिये निर्देशित किया जाता है । क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय में उपस्थिति देने वाले अनुदानित महाविद्यालय से आनेवाले शिक्षकों की सूची निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध करवादी गई है ।

जिले का नाम	अनुदानित महाविद्यालय का नाम जिनके व्याख्याता कॉलम 3 में वर्णित राजकीय महाविद्यालयों में उपस्थिति देंगे	जिले के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय का नाम जहाँ अभिमुखीकरण हेतु उपस्थिति देनी है
1	2	3
जयपुर	अग्रवाल कॉलेज, जयपुर	राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली
	कानोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर	राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटपूतली
	एस.एस.जी. पारीक कॉलेज, जयपुर	राजकीय कन्या महाविद्यालय, शाहपुरा
	श्री वीर बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयपुर	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चौमू
	श्री भवानी निकेतन गर्ल्स कॉलेज, जयपुर	राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा
	गौंधी महिला महाविद्यालय, किशनगढ रेनवाल	राजकीय महाविद्यालय, सांभर लेक
	वैदिक कन्या महाविद्यालय, जयपुर	राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा
	संत जयाचार्य महिला महाविद्यालय, जयपुर	राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद
अजमेर	एस.एस.जी. पारीक महिला महाविद्यालय, जयपुर	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
	एस.एस.जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर	राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर
	खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स कॉलेज, संसार चन्द रोड, जयपुर	राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर
	लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय, जयपुर	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ
	श्री सत्य साईं कॉलेज, फार वूमन, जयपुर	राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद
	दयानन्द कॉलेज, अजमेर	राजकीय महाविद्यालय, डीग
भरतपुर	आदर्श डिग्री गर्ल्स कॉलेज, अजमेर	राजकीय महाविद्यालय, बयाना
	सावित्री गर्ल्स कॉलेज, अजमेर	राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा
भीलवाडा	दयानन्द आर्य बालिका महाविद्यालय, ब्यावर	राजकीय महाविद्यालय, बीकानेर
	सोफिया गर्ल्स कॉलेज, अजमेर	
	विजयसिंह पथिक श्रमजीवी कॉलेज, अजमेर	
बीकानेर	श्री प्राज्ञ महाविद्यालय, बिजयनगर, अजमेर	
	श्री बांकेबिहारी कन्हैयालाल महिला महा. डीग	
	आर्य विद्यापीठ जी.जी.गर्ल्स कॉलेज, भुसावर, भरतपुर	
	आचार्य श्री तुलसीअमृत महाविद्यालय, गंगापुर, भीलवाडा	
	बी.जे.एस.रामपुरिया जैन कॉलेज, बीकानेर	

8

	श्री जैन पी.जी.कॉलेज, बीकानेर श्री नेहरु शारदापीठ, बीकानेर	राजकीय कन्या महा. बीकानेर
झुंझुनू	सेठ ज्ञानीराम बंसीधर पौद्धार कॉलेज, नवलगढ सेठ मोतीलाल स्नातक कॉलेज, राणीसती रोड, झुंझुनू	राजकीय महाविद्यालय, झुंझुनू
	चिडावा कॉलेज, चिडावा जे.बी.शाह गर्ल्स कॉलेज, मण्डावा रोड, झुंझुनू एम.के.साबू कॉलेज आफ कामर्स, पिलानी	राजकीय कन्या महाविद्यालय, झुंझुनू
	इंदिरागांधी बालिका निकेतन, अरडावता सेठ गंगाधर शिवभगवान पटवारी कॉलेज, बग्गड कानोडिया कॉलेज मुकुन्दगढ, झुंझुनू गिन्नीदेवी सत्यनारायण सेक्सरिया गर्ल्स कॉलेज, चिडावा विनोदनी स्नातकोत्तर कॉलेज, राजोता, खेतडी	राजकीय महाविद्यालय, खेतडी
जोधपुर	महिला महाविद्यालय, जोधपुर श्री लादूराम अग्रचन्द गोलेछा कॉलेज, खींचन, फलोदी	राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीपाडसिटी
	ऑकारमल सोमानी कॉलेज ऑफ कामर्स, जोधपुर	राजकीय महाविद्यालय, फलोदी
	लाचू मेमोरियल कॉलेज आफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, जोधपुर	राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ
नागौर	कुचामन कॉलेज, कुचामन सिटी, नागौर	राजकीय महाविद्यालय, मेडतासिटी
पाली	श्री जैन तेरापंथी कॉलेज, राणावास, पाली	राजकीय महाविद्यालय, पाली
	एस.पी.यू. पी.जी.महाविद्यालय, फालना, पाली	राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली
चुरू	चुरू गर्ल्स कॉलेज, चुरू	राजकीय महाविद्यालय, चुरू
	मोहता कॉलेज, सार्दूलपुर	राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर
	श्रीमती के.डी.जी. मित्तल गर्ल्स कॉलेज, सरदारशहर सोनादेवी सेठिया कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ	राजकीय कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ
हनुमानगढ	स्वामी केशवानन्द महाविद्यालय, संगरिया, हनुमानगढ सरस्वती गर्ल्स कॉलेज, हनुमानगढ जंक्शन	राजकीय महाविद्यालय, नोहर
सवाईमाधोपुर	अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, जयपुर रोड, गंगापुरसिटी	राजकीय महाविद्यालय, गंगापुरसिटी
सीकर	सेठ जी.आर.चमडिया कॉलेज, फतेहपुर सेठ आर.के.धानुका गर्ल्स कॉलेज, फतेहपुर श्री बी.डी.तोदी कॉलेज, लक्ष्मणगढ श्री कृष्ण संतसंग बालिका महाविद्यालय, सीकर	राजकीय महाविद्यालय, सीकर
श्रीगंगानगर	महर्षि दयानन्द कॉलेज, श्रीगंगानगर सेठ जी.एल.बिहाणी एस.डी.पी.जी.कॉलेज, श्रीगंगानगर	राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
	एस.जी.एन.खालसा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
	ज्ञान ज्योति कॉलेज, श्रीकरणपुर	राजकीय महाविद्यालय, सार्दूलशहर
	महर्षि दयानन्द गर्ल्स कॉलेज, रायसिंहनगर शहीद भगतसिंह कॉलेज, रायसिंहनगर	राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ
उदयपुर	भूपाल नोबल्स कॉलेज, कॉलेज रोड, उदयपुर एम.वी.श्रमजीवी कॉलेज, सलेरिया ग्राउण्ड, उदयपुर साहित्य संस्थान, टाउन हाल, लिंक रोड, उदयपुर विद्या भवन रुशल इंस्टीट्यूट, उदयपुर उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क्स, जनार्दन राय नागर, उदयपुर	राजकीय भीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर
	जवाहर विद्यापीठ, कानोड	राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर

अभिमुखीकरण हेतु विस्तृत कार्यक्रम एवं दिशानिर्देश निम्नानुसार है :-

कार्यक्रम

Week-I	Week -II	Week -III	Week -IV
<b>Administration</b>	<b>Academic and misc.</b>	<b>Quality issues</b>	<b>Research, extension and student welfare</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scenario of Higher Education in Rajasthan &amp; India</li> <li>• Rajasthan State Service Rules</li> <li>• Leave rules</li> <li>• Service Book</li> <li>• ACR rules</li> <li>• Noting and filing</li> <li>• Letters and Memos</li> <li>• Handling of litigation</li> <li>• Financing of Higher Education</li> <li>• Role of private sector in Higher Education</li> <li>• Income Tax rules</li> <li>• Pay fixation</li> <li>• GF&amp;AR</li> <li>• Budgeting</li> <li>• Audit</li> <li>• Cash handling rules and procedure</li> <li>• Purchase procedure</li> <li>• Mahavidyalaya Vikas Samiti rules</li> <li>• CCA rules and disciplinary procedure</li> <li>• Duties of DDO</li> <li>• Provisions of RTI Act</li> <li>• Roles and responsibilities of PIO and APIO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• National Policy on Education</li> <li>• General idea about functioning of universities</li> <li>• Planning and preparation of lectures</li> <li>• Management of examinations</li> <li>• Examination reforms</li> <li>• Motivation</li> <li>• Leadership</li> <li>• Team building</li> <li>• Role of ICT</li> <li>• NME-ICT</li> <li>• Organizing seminar, conferences and workshops</li> <li>• Communication skills</li> <li>• Interpersonal skills</li> <li>• Question paper setting</li> <li>• Writing resource material of Distance Education</li> <li>• AV material preparation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accreditation</li> <li>• New accreditation procedure of NAAC</li> <li>• SSR preparation</li> <li>• Peer team visit</li> <li>• UGC regulations</li> <li>• Code of Conduct for Teachers</li> <li>• UG and PG Development schemes of UGC</li> <li>• Water harvesting</li> <li>• Establishing and running advisory bureau</li> <li>• Counselling</li> <li>• Placement Cells</li> <li>• Gender sensitization and women at work places</li> <li>• Management of Youth Development Centre scheme</li> <li>• E-governance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funding agencies and their schemes.</li> <li>• Project planning and implementation</li> <li>• Writing project proposals</li> <li>• Writing reports</li> <li>• Writing academic papers</li> <li>• Major and Minor projects</li> <li>• Fellowships for teachers</li> <li>• CAS and performance indicators</li> <li>• Strengthening sports activities</li> <li>• UGC regulation regarding PhD and M.Phil</li> <li>• Student-teacher relations.</li> <li>• Alumni associations</li> <li>• Parent-Teacher Association</li> <li>• Student elections</li> <li>• Role of student unions in development of institution.</li> <li>• Scholarships-DCE schemes</li> <li>• Scholarships-SJE schemes</li> <li>• Scholarships for minorities and differently-abled</li> </ul>

## दिशानिर्देश

1. प्राचार्य केवल उन्हीं शिक्षकों को उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम हेतु उपस्थिति देने की अनुमति प्रदान करेंगे, जिन्होंने दिनांक 6.8.2011 तक सम्बन्धित सहायक निदेशक कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी है ।
2. अभिमुखीकरण कार्यक्रम हेतु संदर्भ व्यक्तियों की व्यवस्था प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर से करली जाये ।
3. कार्यक्रम सूची में सम्मिलित किये गये विषयों के अतिरिक्त अन्य उपयोगी व्याख्यान भी आयोजित किये जा सकेंगे ।



(सुबीर कुमार)  
निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर

क्रमांक: एफ.1(176)स्था/निकाशि/2011/ 4281

दिनांक: 04-08-2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्चशिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
6. शासन उप सचिव, उच्चशिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
9. संयुक्त निदेशक(स्थापना), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. संयुक्त निदेशक (अनुदान), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. लेखाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
12. सम्बन्धित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ।
13. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/सम्बन्धित शिक्षक ।
15. रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक  
कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर